

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

एन.3(11) एन. बी. एस वी./शैक्षणिक 2021-22/ 2807

आवश्यक सूचना

20.09.2022

29

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रविष्ट समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या अ० श० मि० सं० 1-15/2009 (ए.आर.सी.) पीटी.III दिनांक 16/09/2022 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए विनियम, 2009 में अधिसूचित किया है जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में प्रविष्ट सभी छात्र/छात्रों को सूचित किया जाता है कि उन्हें रैगिंग रोकथाम से संबंधित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध एवं रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रो. बिहारी लाल शर्मा, रैगिंग रोकथाम प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी को रैगिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए छात्र/छात्रा नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में रैगिंग सर्वथा वर्जित है। शिकायत मिलने पर संबंधित छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल्प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग अधिनियम-2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रविष्ट प्रत्येक छात्र और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट www.antiragging.in पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से शपथ/वचन पत्र जमा करना है साथ ही उसकी प्रतिलिपि रैगिंग रोकथाम प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

संलग्न: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया

नोडल अधिकारी के कार्यालय का विवरण निम्न प्रकार से है।

प्रो. बिहारी लाल शर्मा, आचार्य ज्योतिष विभाग एवं कुलगुरासक
कक्षा संख्या 112, प्रथम तल, स्वर्णजयंती सदन
दूरभाष 011-46060651

प्रतिलिपि - सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित-

1. समस्त पीठ प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
2. निदेशक IQAC/ कुलानुशासक
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. छात्रावास अधिष्ठाता
5. संगणक विभाग (सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट अपलोड करने हेतु)
6. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव
7. उपकुलसचिव परीक्षा/शैक्षणिक
8. संबंधित पत्रिका
9. सूचना पट

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)